पत्रांक– बाढ़(मो0)सिं0वि0–10/2021–

बिहार सरकार
जल ससांधन विभाग

प्रेषक

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अतिमहत्वपूर्ण/
फैक्स/ई–मेल

S.K. Bhardwaj,
Adani Power Pvt. Ltd.,
Shanti Gram, Near-Vaishno Devi Circle,
SG Highway, Khodiyar, Ahmadabad, Pin-382421

पटना, दिनांक – 08-01-2026

विषय – Adani Power Limited को पीरपैंती, भागलपुर में 2400 MW Ultra Supereritical Thermal Power Project के establishment निमित्त गंगा नदी से 47 क्यूसेक (42 MCM/annum) जल उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति/सहमति निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग – उर्जा विभाग का पत्रांक प्र0/BSPGCL-06/2024-5741 दिनांक 09.12.2025 एवं आपका पत्रांक APL/PIR/WRD/15122025 दिनांक 15.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के सन्दर्भ में निदेशानुसार कहना है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक 2200 दिनांक 24.04.2025 से निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त करते हुए Adani Power Limited को पीरपैंती, भागलपुर में 2400 MW Ultra Supereritical Thermal Power Project के establishment निमित्त गंगा नदी से 47 क्यूसेक (42 MCM/annum) जल उपलब्ध कराने हेतु निम्न् शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

(i) गैर–मानसून अवधि जनवरी से मई तक गंगा नदी से पानी लेने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि (जनवरी से मई) में जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए Adani Power Limited को अपने व्यय पर मानसून अवधि में पर्याप्त जल संचयन करने की उचित व्यवस्था करनी होगी जिस पर जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ii) जलापूर्ति प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था एवं इससे संबंधित संरचना का निर्माण, सम्पोषण एवं रख–रखाव आदि की व्यवस्था Adani Power Limited द्वारा किया जाएगा।

(iii) निर्माण कार्य के दौरान सभी निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

(iv) उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।

(v) उक्त निर्माण कार्य के कारण बाढ़ के पूर्व या बाढ़ के दौरान तटबंध/नदी किनारा को किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त तटबंध/नदी किनारा की मरम्मति Adani Power Limited द्वारा उनके व्यय पर करायी जाएगी एवं इसका अनुश्रवण जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(vi) क्रियान्वयन के क्रम में तथा भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिए गए अनुदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा।

(vii) निर्माण कार्य से जलमार्ग प्रभावित न हो इसके लिए भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) से सहमति प्राप्त कर ली जाय।

(viii) नदी में जल की उपलब्धता में कमी होने की स्थिति में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

(ix) जलापूर्ति प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था एवं इससे सम्बन्धित संरचना का निर्माण, सम्पोषण एवं रख–रखाव आदि की व्यवस्था Adani Power Limited को अपने खर्च पर स्वयं करना होगा।

(x) राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (NGT) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदूषित जल को आवश्यक उपचार कर ही नदी में प्रवाहित करना होगा।

(xi) नदी में औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित जल कर/शुल्क अनुमान्य होगा।

(xii) Adani Power Limited / सम्बन्धित संस्था (Company) के सक्षम प्राधिकार को प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् जल संसाधन विभाग से उपुर्यक्त सभी शर्तों सहित अन्य आवश्यक शर्तों के साथ एकरारनामा करना होगा।

(xiii) उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

(xiv) Adani Power Limited द्वारा जल उपयोग के क्रम में संरचना निर्माण करने की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागीय परिपत्र PMC–5/विविध/9–28/2004–पार्ट–1–485 दिनांक–29.08.2024 के आलोक में जल संसाधन विभाग से संरचना निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक : बाढ़(मो0)सिं0वि0–10/2021 – पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– सचिव, उर्जा विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक : बाढ़(मो0)सिं0वि0–10/2021 – पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, लोवर गंगा बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक : बाढ़(मो0)सिं0वि0–10/2021 – पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4, पटना/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक : बाढ़(मो0)सिं0वि0–10/2021 – 99 पटना, दिनांकः– 08-01-2026

प्रतिलिपि :– कार्यापालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/01/26
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय